भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1171

उत्तर देने की तारीख-30/07/2025

फीस बढ़ोत्तरी का प्रभाव

1171 # श्री रामजी लाल सुमन:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय सहित देश के विश्वविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम-वार फीस वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लड़कियों को भी फीस वृद्धि के अनुसार समान फीस देनी पड़ रही है; और

(ग) क्या गरीब बच्चों की शिक्षा पर फीस वृद्धि के प्रभाव का कोई अध्ययन किया गया है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालय, संसद के संबंधित केन्द्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संगठन हैं तथा उनके तहत बनाए गए अधिनियमों और संविधियों, अध्यादेशों के उपबंधों द्वारा शासित होते हैं। विश्वविद्यालय अपने सांविधिक निकायों जैसे कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद, वित्त समिति और कोर्ट आदि के अनुमोदन से लड़के और लड़कियों दोनों के लिए शुल्क संरचना सहित प्रशासनिक और शैक्षणिक निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा ली जाने वाली फीस संबंधी विवरण का रखरखाव संस्थान स्तर पर किया जाता है। सरकार सभी श्रेणियों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अध्यधीन विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएँ कार्यान्वित कर रही है। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में उच्चतर शिक्षा के विद्यार्थियों को लगभग एक करोड़ छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, 6 नवंबर 2024 को एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना, पीएम विद्यालक्ष्मी, शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी छात्र वित्तीय बाधाओं के कारण उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे। इस योजना के अंतर्गत, उन सभी विद्यार्थियों, जिन्हें शीर्ष गुणवत्ता वाली उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (क्यूएचईआई) में योग्यता के आधार पर प्रवेश मिलता है और जो शिक्षा ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, को बिना किसी जमानत और गारंटर के शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है।

*****